तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/1543/2001/हनुमानगढ़ कृष्ण कुमार बनाम परमेश्वरी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2023	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री मनीष पाण्डीया, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी ने यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-02-2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी के द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत करते हुये स्वयं को अपील मीमों में अंकित विवादित भूमि का खातेदार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया। परीक्षण न्यायालय सहायक जिलाधीश, संगरीया ने अपने निर्णय दिनांक 25.04.1992 से अपीलार्थी/वादी का वाद स्वीकार कर उसे खातेदार घोषित कर दिया। इस वाद के अतिरिक्त रेस्पो0 परमेश्वरी के द्वारा पूर्व वाद से संबंधित भूमियों के बाबत एक वाद संख्या 40/84 अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम सहायक कलेक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे सहायक कलेक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 20.09.1985 से यह कहते हुये कि वाद में वादी एवं प्रतिवादी एक ही है तथा वाद में वर्णित तथ्य भी एक ही है। अतः उक्त आधार पर वाद अबेट होने के कारण खारिज किया जाता है। जिसके विरूद्ध रेस्पो0 परमेश्वरी देवी ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 20.02.2001 से अपील को स्वीकार करते हुये प्रकरण अपर जिला कलेक्टर (जागीर), हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि वह प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई करते हुये विधिसम्मत आदेश पारित करें। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट के द्वारा यह अपील	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/1543/2001/हनुमानगढ़ कृष्ण कुमार बनाम परमेश्वरी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को अपील में सुना गया । विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि निर्णय अपीलाधीन इस बिंदू पर भी निरस्ती योग्य है कि जब अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश से मूल वाद में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया था तो धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की अपील को स्वीकार कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने का कोई औचित्य नहीं था। क्योंकि यदि दिनांक 20.09.1988 को डिप्टी कलेक्टर (जागीर), श्रीगंगानगर का आदेश निरस्त हो जाता है तो वाद अपनी मूल स्थिति में आ जाता है एवं जब मूल वाद अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है तो फिर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही निरंतर रखने का कोई औचित्य नहीं है। उनका कथन है कि ऐसी स्थिति में दिनांक 20.09.1985 का आदेश डिप्टी कलेक्टर (जागीर), श्रीगंगानगर ने जो आदेश प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का दिया था वह समुचित था एवं मूल वाद संख्या 44/84 के पूनर्जीवित होने पर इसे अनुसांगित कार्यवाही मानकर निरंतर नहीं रखा जा सकता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय इस बिंदू पर भी निरस्ती योग्य है कि चूंकि नियमित वाद के चलते हुये धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर आदेश पर अपील को स्वीकार कर भारी भूल की है चूंकि धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है एवं नियमित वाद विचाराधीन चलते हुये ऐसी कार्यवाही में कोई सारवान आदेश पारित नहीं किया जा सकता। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2011-12 आर0आर0टी0 (सप0) पेज 284, 2014(2) आर0आर0टी0 पेज 1111 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि की परीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश एक नॉन स्पीकिंग एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/1543/2001/हनुमानगढ़ कृष्ण कुमार बनाम परमेश्वरी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नॉन रिजन्ड आदेश था। जो धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रकरण में पारित किया गया था। धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अलग कार्यवाही है और प्रस्तुत वाद एक अलग प्रकरण है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में वाद में वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा वाद में वर्णित बिंदू भी एक ही होने के आधार पर वाद को अबेटमेंट होने से खारिज किया है जबकि धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में अबेटमेंट का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया था और ना ही ऐसी कार्यवाही पर आदेश 22 सी0पी0सी0 लागु होता है। इस आधार पर परीक्षण न्यायायल का निर्णय पूर्णतः विधि विरूद्ध था। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय से प्रकरण को पुनः नियमानुसार सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जो एक विधिसम्म्त आदेश था। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत बताते हुये प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि :- " पत्रावली प्रस्तुत। बकुलाय फरीके उपस्थित। बहस उभयपक्ष गौर किया गया तथा अपीलाधीन आदेश पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश में विचाराधीन प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती इस आधार पर खारिज किया गया है कि इन्हीं पक्षों के बीच इसी भूमि का विचाराधीन वाद अबेट मानकर खारिज किया गया था। चूंकि अन्य अपील संख्या 82/94/223 आर0टी0ए0 मु0 परमेश्वरी बनाम कृष्ण कुमार स्वीकार की जाकर प्रकरण अपर जिला कलेक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ को रिमान्ड किया गया है। जिसमें आदेश आज ही पारित हुआ है, ऐसी दशा में यह अपील भी काबिल स्वीकार बनती है तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अपर जिला कलेक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/1543/2001/हनुमानगढ़ कृष्ण कुमार बनाम परमेश्वरी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई करते हुये विधिसम्मत आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अपर जिला कलेक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ को भेजी जावें। अपील फैशल शुमार होकर नंबर से कम हों।'' इस अपील के अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपने निर्णय से उनके यहां विचाराधीन अपील को अपर जिला कलेक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि वह प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये प्रकरण में विधिसम्मत आदेश पारित करें। वादग्रस्त भूमियों के संबंध में अन्य संबंधित प्रकरण भी विचाराधीन चल रहे है। इस स्थिति में दोनों प्रकरणर में वादग्रस्त भूमियां एवं पक्षकार समान होने की स्थिति में परस्पर विरोधाभासी निर्णय नहीं हो इसके लिये अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की सुनवाई कर विधि अनुसार निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये है वह पूर्णतया न्यायोचित एवं विधिसंगत पाया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	